NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 16-11-2026

विषय सूची

मृत्युदंड पर वैश्विक स्थगन संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव

सतत निर्यात के लिए भारत की चावल अर्थव्यवस्था का पुनर्संतुलन

भारत में स्वास्थ्य सेवा पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में कमी

संक्षिप्त समाचार

बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य

भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना

लखपति दीदी पहल

अभ्यास 'मित्र शक्ति 2026'

मृत्युदंड पर वैश्विक स्थगन संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव

संदर्भ

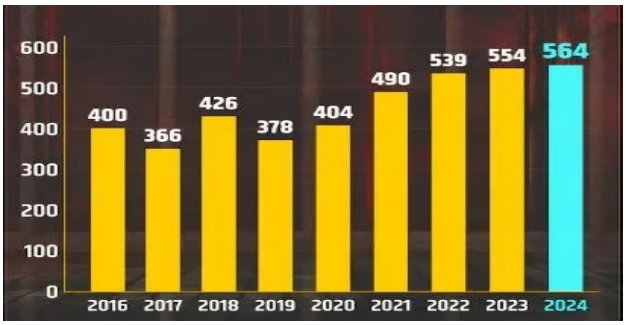
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उस मसौदा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिसमें मृत्युदंड के प्रयोग पर रोक लगाने का आह्वान किया गया था।
  - यह प्रस्ताव मेक्सिको द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके पक्ष में 133, विपक्ष में 33 तथा 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया (मतदान से विरत रहे)।

मृत्युदंड पर भारत का दृष्टिकोण

- भारत का तर्क है कि मृत्युदंड के विरुद्ध कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है तथा प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी विधिक व्यवस्था और दंड निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है।
- मृत्युदंड को बनाए रखने से न्यायालयों को अत्यंत गंभीर मामलों में यह दंड देने का विकल्प उपलब्ध रहता है, जहाँ आजीवन कारावास को अपर्याप्त माना जाता है।

भारत में मृत्युदंड

- दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में लगातार दूसरे वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की।
- **भारत में मृत्युदंड प्राप्त कैदी :**



- भारत में मृत्युदंड, जिसे प्राणदंड भी कहा जाता है, फाँसी पर लटकाकर (गर्दन में फंदा डालकर मृत्यु होने तक) दिया जाता है।
- पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जबकि अमेरिका, ईरान, चीन और भारत जैसे देशों ने मृत्युदंड को सक्षम बनाने वाली विधिक व्यवस्था बरकरार रखी है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार स्पष्ट किया गया है कि मृत्युदंड का प्रयोग केवल 'विरलतम से विरलतम' मामलों में किया जाना चाहिए।
- भारत में मृत्युदंड को अंतिम बार वर्ष 2020 में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के दोषियों को दिया गया था।
- **वैधानिक प्रावधान:**
  - **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 4:** मृत्युदंड को निर्धारित दंड के एक स्वरूप के रूप में मान्यता प्रदान करती है।
  - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 407:** सत्र न्यायालय द्वारा सुनाए गए मृत्युदंड के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि को अनिवार्य बनाती है।
  - **BNSS, 2023 की धारा 393(3):** मृत्युदंड दिए जाने की स्थिति में न्यायालयों को विशेष कारण दर्ज करना अनिवार्य करती है।

न्यायिक हस्तक्षेप

- **- बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980):** सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  - साथ ही, इसके प्रयोग को 'विरलतम से विरलतम' मामलों तक सीमित कर दिया, जहाँ आजीवन कारावास का वैकल्पिक विकल्प निस्संदेह अनुपयुक्त हो।
  - **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983):** सर्वोच्च न्यायालय ने 'विरलतम से विरलतम' के सिद्धांत को स्पष्ट किया तथा अपराधों की पाँच ऐसी श्रेणियाँ निर्धारित कीं, जिनमें मृत्युदंड उचित हो सकता है:
    - **हत्या करने का तरीका :** अत्यंत क्रूर, बर्बर एवं नृशंस तरीके से की गई हत्याएँ।
    - **हत्या का उद्देश्य :** ऐसे उद्देश्य से की गई हत्या, जो पूर्ण नैतिक पतन एवं घोर विकृति को प्रदर्शित करती हो।
    - **अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति :** जब किसी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर हत्या की जाए और उससे व्यापक सामाजिक आक्रोश उत्पन्न हो।
    - **अपराध की व्यापकता :** जब अपराध का पैमाना अत्यंत व्यापक हो।
    - **पीड़ित की स्थिति :** जब पीड़ित विशेष रूप से असुरक्षित वर्ग से संबंधित हो, जैसे बच्चा, महिला या वृद्ध व्यक्ति।
- **मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022):** न्यायालय ने मृत्युदंड के मामलों में अभियुक्त से संबंधित जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु व्यावहारिक दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
  - इसके अंतर्गत राज्य को अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन, हिरासत के दौरान उसके आचरण से संबंधित रिपोर्ट तथा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया।

मृत्युदंड को बनाए रखने के पक्ष में तर्क

- **प्रतिशोधात्मक न्याय :** यह अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए आनुपातिक दंड प्रदान करता है तथा पीड़ितों और उनके परिवारों की पीड़ा को मान्यता देता है।
- **निवारक प्रभाव :** यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड की संभावना विशेष रूप से गंभीर अपराधों को हतोत्साहित कर सकती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा :** मृत्युदंड को बनाए रखने से कुछ आतंकवादी कृत्यों सहित अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए कानूनी दंड का एक विकल्प उपलब्ध रहता है।

मृत्युदंड से संबंधित चिंताएँ

- **गलत दोषसिद्धि का जोखिम :** त्रुटिपूर्ण जाँच, अविश्वसनीय साक्ष्य, झूठी गवाही अथवा न्यायिक त्रुटियों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को मृत्युदंड दिए जाने की आशंका रहती है।
- **निवारक प्रभाव का निर्णायक प्रमाण न होना:** ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास की तुलना में अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकता है।
- **मनोवैज्ञानिक पीड़ा :** मृत्युदंड की अनिश्चितता, बार-बार की अपीलें तथा मृत्युदंड प्राप्त कैदी के रूप में वर्षों तक कारागार में रहने से कैदियों को गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

मृत्युदंड पर वैश्विक ढाँचा

- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) का अनुच्छेद 6:** यह कुछ सीमित परिस्थितियों में मृत्युदंड की अनुमति देता है।
  - हालाँकि, यह स्पष्ट करता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी व्यवस्था किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा मृत्युदंड समाप्त करने की प्रक्रिया को विलंबित या बाधित नहीं करेगी।
- **संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा उपाय :** संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने मृत्युदंड का सामना कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा उपाय अपनाए।
- **ICCPR का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1989 में इस प्रोटोकॉल को अपनाया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को मृत्युदंड समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
  - इस प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने वाले राष्ट्रों ने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड न देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव (2007–2018):** इन प्रस्तावों के माध्यम से देशों से निम्नलिखित कदम उठाने का आह्वान किया गया:
  - मृत्युदंड का सामना कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों का सम्मान करना।
  - मृत्युदंड के प्रयोग को क्रमिक रूप से सीमित करना।
  - मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों की संख्या में कमी करना।

आगे की राह

- मृत्युदंड पर परिचर्चा में जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा को न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय संप्रभुता की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना शामिल है।
- भारत मृत्युदंड को एक अपवादात्मक दंड के रूप में बनाए रखता है, किंतु इसका प्रयोग संवैधानिक सुरक्षा उपायों, न्यायिक निष्पक्षता तथा मानवीय आपराधिक न्याय प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

स्रोत: TH

सतत निर्यात के लिए भारत की चावल अर्थव्यवस्था का पुनर्संतुलन

संदर्भ

- भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, किंतु जल का अत्यधिक उपभोग करने वाली धान की खेती पर बढ़ती निर्भरता के कारण कृषि निर्यात की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं।

भारत में चावल का उत्पादन एवं निर्यात प्रदर्शन

- भारत में वर्ष 2025–26 में अनुमानतः 154.02 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
- भारत का चावल निर्यात वर्ष 2020–21 के 17.73 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 21.57 मिलियन टन हो गया, जबकि निर्यात का मूल्य 8.82 अरब डॉलर से बढ़कर 11.54 अरब डॉलर हो गया।
- **वैश्विक स्थिति:** भारत वर्ष 2012 से विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना हुआ है तथा हाल के वर्षों में वैश्विक चावल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 30–35% रही है।

Export paradox

India's rice export has two distinct segments with non-Basmati rice accounting for more than twice the export volume of Basmati but generating only marginally higher aggregate export value

Indicator	Basmati rice	Non-Basmati rice
Exports, 2025–26	6.52 million tonne	15.04 million tonne
Export value	₹50,138 crore / $5.67 bn	₹51,892 crore / $5.86 bn
Approx. value/ tonne	₹76,900 / $870	₹34,600 / $388
Major production areas	Punjab, Haryana, western U.P., J&K, Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Delhi	Widely cultivated across India; major rice-producing States include U.P., Telangana, West Bengal, Punjab, Chhattisgarh, Odisha, M.P., Bihar, A.P., and Tamil Nadu
Market character	Premium, aromatic, high-value	Staple and price-sensitive
Virtual-water dimension	Footprint varies with location, irrigation source, and technology	Large export volume implies potentially large aggregate virtual-water transfer
Groundwater dimension	Critical concern in groundwater-dependent rice-growing regions, particularly where intensive rice cultivation places additional pressure on already-stressed aquifers	
GHG dimension	Pronounced particularly in production systems characterised by continuous flooding, inefficient or excessive nitrogen fertilizer use, energy-intensive irrigation, and open-field residue burning, which can increase both resource use and greenhouse gas emissions	
Policy priority	Increase value while improving water and carbon efficiency	Reduce resource intensity and improve value per unit of water



सतत चावल अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

- **भूजल का ह्रास :** पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खेती मुख्यतः भूजल पर निर्भर करती है, जिसका दोहन प्रायः ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले नलकूपों के माध्यम से किया जाता है।
  - **निश्चित सरकारी खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):** सुनिश्चित सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ने उन क्षेत्रों में भी धान की खेती को प्रोत्साहित किया है, जहाँ कृषि-जलवायवीय परिस्थितियाँ तथा जल की उपलब्धता इसके अनुकूल नहीं हैं।
  - भूजल के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जलस्तर में गिरावट, सिंचाई लागत में वृद्धि तथा दीर्घकालिक कृषि स्थिरता पर दबाव उत्पन्न हुआ है।
- **आभासी जल व्यापार :** आभासी जल से तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान उपभोग किए गए उस जल से है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार के माध्यम से हस्तांतरण होता है।
  - इस प्रकार, चावल के निर्यात के साथ उसमें अंतर्निहित जल का भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात होता है।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन :** जलमग्न धान के खेतों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाली परिस्थितियों (अवायवीय दशाओं) में सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक पदार्थों के अपघटन से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** सुनिश्चित सरकारी खरीद तथा पहले से विकसित कृषि अवसंरचना के कारण कुछ जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भी धान की खेती का विस्तार हुआ है।

चावल उत्पादन की सतत पद्धतियाँ

- **वैकल्पिक आर्द्रीकरण एवं शुष्कन तकनीक:** यह एक अंतरालिक सिंचाई तकनीक है, जिसमें धान के खेतों को समय-समय पर सुखाया जाता है तथा पुनः जलमग्न किया जाता है।

- अनुकूल परिस्थितियों में इससे सिंचाई जल की खपत में 30% तक की बचत तथा मीथेन उत्सर्जन में 43–48% तक की कमी की जा सकती है।

- **प्रत्यक्ष बीजित धान:** इस पद्धति में नर्सरी में पौध तैयार करके जलमग्न एवं पडलिंग किए गए खेतों में रोपाई करने के स्थान पर धान के बीज सीधे सूखे अथवा गीले खेतों में बोए जाते हैं।
- **सूक्ष्म सिंचाई:** इस पद्धति में ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर प्रणालियों के माध्यम से फसल के जड़ क्षेत्र के निकट जल पहुँचाया जाता है, जिससे वाष्पीकरण एवं सतही अपवाह के कारण होने वाली जल की हानि को कम किया जा सके।
- **एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन:** इसमें मृदा परीक्षण तथा पत्ती रंग चार्ट के सहयोग से रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग जैविक स्रोतों, जैसे गोबर की खाद एवं हरी खाद के साथ किया जाता है।
- **लेजर भूमि समतलीकरण :** यह लेजर-निर्देशित उपकरणों के उपयोग से कृषि भूमि को समान रूप से समतल करने की तकनीक है, जिससे सिंचाई जल का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
    - इससे सिंचाई में लगने वाले समय में 20–30% तक की कमी लाई जा सकती है।

निष्कर्ष

- भारत की चावल निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
- मात्रा-आधारित उत्पादन से मूल्य-आधारित, जल-कुशल एवं जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर संक्रमण आवश्यक है। इससे कृषि निर्यात की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ जल संसाधनों का संरक्षण भी किया जा सकेगा।

स्रोत: TH

भारत में स्वास्थ्य सेवा पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में कमी

संदर्भ

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के वर्ष 2023–24 के अनुमानों के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवा पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में कमी दर्ज की गई है। यह व्यय वर्ष 2013–14 के कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2% से घटकर वर्ष 2023–24 में 42.7% रह गया है।

आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय

- स्वास्थ्य सेवा में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय उस धनराशि को संदर्भित करता है, जिसका भुगतान लोग चिकित्सा सेवाओं, जैसे डॉक्टर से परामर्श, दवाइयों तथा अस्पताल में भर्ती होने आदि के लिए सीधे अपनी स्वयं से करते हैं।
- OOPE के कारण निम्न आय वाले परिवारों को अपनी आय अथवा बचत का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करना पड़ता है।
- यह वित्तीय भार परिवारों को गरीबी की ओर धकेल सकता है, उन्हें ऋणग्रस्त बना सकता है तथा भोजन और शिक्षा जैसी अन्य आवश्यकताओं पर व्यय करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023–24 के प्रमुख निष्कर्ष

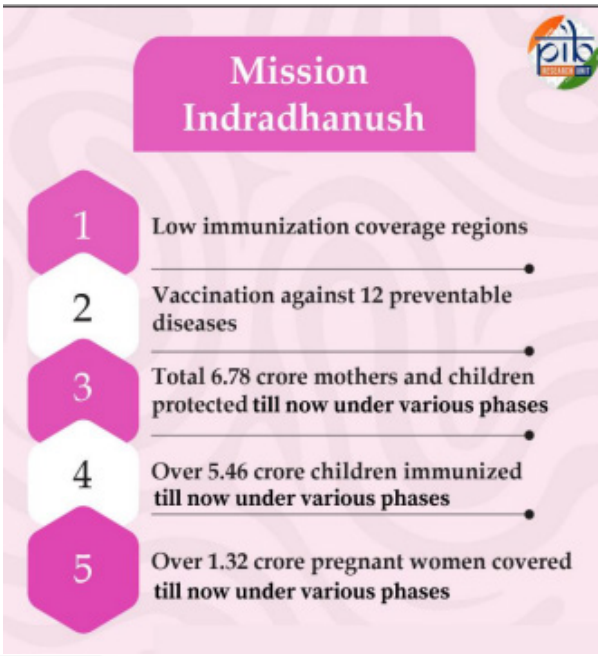
- **सरकारी स्वास्थ्य व्यय :** वर्ष 2013–14 में 1,29,778 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है।
- **प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय:** वर्ष 2013–14 में 1,042 रुपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 2,959 रुपये हो गया, जो लगभग 2.8 गुना वृद्धि को दर्शाता है।
- **स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय :** कुल स्वास्थ्य व्यय में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2013–14 के 6% से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 11% हो गई, अर्थात् इसमें 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई।
- **निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय :** कुल स्वास्थ्य व्यय में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2013–14 के 3.4% से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 10.2% हो गई, जो देश में स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती पहुँच को दर्शाती है।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी व्यय:** यह लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो आवश्यक एवं सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक निवेश के व्यापक स्तर को दर्शाता है।

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए OOPE में कमी का महत्त्व

- **परिवारों की वित्तीय स्थिरता :** स्वास्थ्य संबंधी व्ययों पर आय का कम हिस्सा व्यय होने से परिवार अन्य आवश्यकताओं पर अधिक धन व्यय कर सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति एवं आर्थिक आघातों का सामना करने की क्षमता बेहतर होती है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का आधार:** OOPE में कमी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण में वृद्धि, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है।
- **मानव पूँजी में सुधार :** किफायती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उत्पादकता बढ़ाती हैं, बीमारी के कारण होने वाली आय की हानि को कम करती हैं तथा बेहतर शैक्षिक एवं आर्थिक परिणामों में योगदान देती हैं।

सरकारी योजनाएँ

- **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** यह योजना द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की अस्पताल में भर्ती संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।
  - 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक, उनकी आय अथवा सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, स्वास्थ्य कवरेज के पात्र हैं।
- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM):** ये आयुष्मान भारत के दूसरे प्रमुख घटक के रूप में कार्य करते हैं तथा लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक सुलभ बनाते हैं।
- **किफायती दवाइयाँ एवं निदान सेवाएँ :** प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना किफायती दरों पर जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
  - अमृत (AMRIT) फार्मेसियाँ आवश्यक दवाइयाँ एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण उपकरण रियायती दरों पर उपलब्ध कराती हैं।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY):** यह गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है।
  - इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले अधिकांश रोगों के लिए 30,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- **टेलीमेडिसिन सेवाएँ (ई-संजीवनी):** यह दूरस्थ परामर्श सेवाओं को सुगम बनाती है, जिससे यात्रा तथा प्रत्यक्ष चिकित्सा परामर्श से संबंधित लागत का भार कम होता है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** इसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- **रोग नियंत्रण एवं लक्षित कार्यक्रम :**
  - **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षय रोग की पहचान, उपचार कवरेज में सुधार तथा रोग की व्यापकता में कमी लाने में सहायता मिली है।
  - **राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन :** इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग की जाँच एवं उन्मूलन सुनिश्चित करना है।
  - **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम :** यह निःशुल्क डायलिसिस सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जिससे मरीजों के आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय में कमी आती है।



भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **निदान सेवाओं तक सीमित पहुँच :** निदान संबंधी सुविधाएँ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों की शीघ्र पहचान सीमित हो जाती है।
- **अपर्याप्त सरकारी स्वास्थ्य व्यय:** सरकारी स्वास्थ्य व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2% से कम बना हुआ है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत निर्धारित GDP के 2.5% तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने के लक्ष्य से कम है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना :** भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सुसज्जित अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों की कमी है।
- **प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी:** देश में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं सहित प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की गंभीर कमी है।
- **निम्न चिकित्सक-रोगी अनुपात :** भारत में प्रति 1,000 जनसंख्या पर केवल 0.7 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का औसत 2.5 डॉक्टर प्रति 1,000 जनसंख्या है।

आगे की राह

- **क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान :** स्वास्थ्य संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्रों तथा उन राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य

सेवाओं तक पहुँच सीमित है अथवा वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव है।

- **केवल अवसंरचना नहीं, बल्कि परिणामों का मूल्यांकन:** स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन का आकलन करते समय प्रतीक्षा अवधि, दवाइयों की उपलब्धता, उपचार की गुणवत्ता, मरीजों के स्वास्थ्य परिणाम तथा परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन में सुधार :** यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारी, आवश्यक दवाइयाँ, निदान सेवाएँ, उपकरण तथा नियमित एवं विश्वसनीय कार्य समय उपलब्ध हों।

निष्कर्ष

- OOPE में कमी एक परिवर्तनकारी बदलाव है, जो अधिक समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा निरंतर निवेश से ऐसे भविष्य की संभावनाएँ सुदृढ़ होती हैं, जहाँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आय की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।
- यह बदलाव न केवल लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करता है, बल्कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आघात-सहनशीलता को भी सुदृढ़ करता है तथा अधिक स्वस्थ एवं आर्थिक रूप से स्थिर समाज के निर्माण में योगदान देता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के बारे में

- **तैयार करने वाली संस्था :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र में स्थित है।
- **प्रकाशन:** इसके अनुमान प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं।
- **रूपरेखा :** यह स्वास्थ्य लेखा प्रणाली , 2011 की रूपरेखा पर आधारित है, जिसे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD), यूरोस्टैट तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया है। इसे भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश, 2016 के माध्यम से अनुकूलित किया गया है।
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य सरकार, परिवारों, निजी बीमा तथा अन्य वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय के स्रोतों, आवंटन एवं उपयोग का आकलन करना है।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य

समाचार में

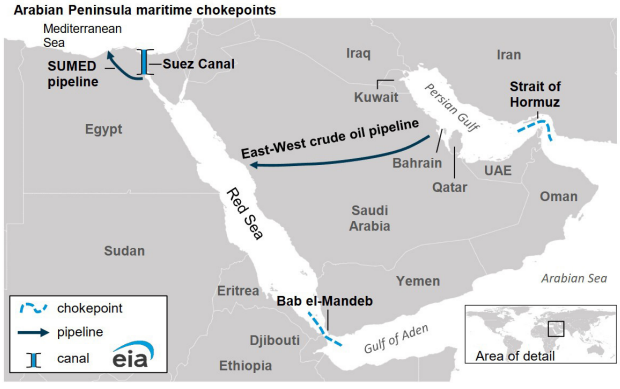
- यमन की सरकारी सेनाओं ने बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य के निकटवर्ती क्षेत्रों से अपनी वापसी की घोषणा की है। इसके साथ ही ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के विरुद्ध छह सप्ताह से चल रहा जवाबी सैन्य अभियान समाप्त हो गया है।

बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य के बारे में

- अरबी भाषा में बाब-अल-मन्देब का अर्थ **'गेट ऑफ टीयर्स'** है।
- यह एक संकीर्ण जलमार्ग तथा वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख सामरिक अवरोध बिंदु है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।
- यह एक ओर यमन तथा दूसरी ओर अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है।
- अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर यह जलडमरूमध्य केवल 29 किलोमीटर चौड़ा है तथा इसमें जहाजों के आवागमन के लिए प्रवेश एवं निकास के दो अलग-अलग मार्ग हैं।
- यह जलडमरूमध्य लाल सागर के मुहाने पर स्थित है, जो स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप तक पहुँचने का प्रमुख समुद्री मार्ग प्रदान करता है।

महत्त्व

- यह जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार एवं ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है।
- सामान्यतः वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- केवल वर्ष 2024 में लगभग 4.1 अरब बैरल कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरे, जो वैश्विक कुल का लगभग 5% है।



स्रोत: द हिंदू (TH)

भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि

संदर्भ

- गंगा जल संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। इस संदर्भ में बांग्लादेश के राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग के एक पूर्व अध्यक्ष ने पुनः वार्ता के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने हेतु संधि को तीन से पाँच वर्षों तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।

गंगा जल संधि के बारे में

- इसे फरक्का संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह संधि फरक्का बैराज पर गंगा नदी के जल के बँटवारे को विनियमित करती है।
- जल की कमी वाले मौसम (11 मार्च से 11 मई) के दौरान, जल की उपलब्धता के अधीन, दोनों देशों को बारी-बारी से 10-10 दिनों की अवधि के लिए 35,000 क्यूसेक जल आवंटित किया जाता है।
- पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर निर्मित फरक्का बैराज का उद्देश्य हुगली नदी में जल प्रवाहित करके कोलकाता बंदरगाह की नौपरिवहन क्षमता में सुधार करना था।
- संधि का अनुच्छेद XII प्रावधान करता है कि इसकी 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद आपसी सहमति से इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।

महत्त्व

- संधि से पूर्व वर्ष 1988 से 1996 के दौरान बांग्लादेश को गंगा जल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था।
- इस संधि ने दोनों देशों के बीच जल बँटवारे के लिए एक पूर्वानुमेय एवं संस्थागत ढाँचा स्थापित किया।

स्रोत: TH

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना

संदर्भ

- केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत डॉक्टरों की कमी, अपर्याप्त वेलनेस केंद्रों तथा लाभार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण हजारों लाभार्थियों, विशेषकर केरलम में सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कठिन हो गई है।

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के बारे में

- CGHS की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अंतर्गत एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है।
- यह कार्यरत एवं सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत बाह्य रोगी विभाग (OPD) एवं अंतःरोगी सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है, जिनमें निम्नलिखित सुविधाएँ सम्मिलित हैं:
  - CGHS के चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से परामर्श।
  - दवाइयों की आपूर्ति एवं नैदानिक जाँच।
  - सरकारी एवं CGHS से संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती तथा विशेषज्ञ उपचार।
- कार्यरत कर्मचारी अपने मासिक वेतन से निर्धारित अंशदान देते हैं।
- पेंशनभोगी मासिक अंशदान अथवा एकमुश्त आजीवन सदस्यता शुल्क का विकल्प चुन सकते हैं।
- CGHS के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शहरों में रहने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के पात्र होते हैं।

स्रोत: TH

लखपति दीदी पहल

समाचार में

- लखपति दीदी पहल महिला-केंद्रित ग्रामीण आजीविका विकास के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।

लखपति दीदी पहल के बारे में

- लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह (SHG) की ऐसी सदस्य होती है, जिसके परिवार की वार्षिक आय कम-से-कम 1 लाख रुपये होती है।
- इस मानक के निर्धारण में व्यक्तिगत आय के बजाय पूरे परिवार की कुल आय को आधार बनाया जाता है।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति में पात्र कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों से होने वाली आय को शामिल किया जाता है।
  - आय की गणना व्यय घटाने के बाद की जाती है तथा इसे विभिन्न कृषि मौसमों अथवा व्यावसायिक चक्रों के दौरान सतत होना चाहिए।

- इस पहल की घोषणा 5 अगस्त 2023 को की गई थी।
  - प्रारंभ में इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़े ग्रामीण परिवारों की दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना था।
  - फरवरी 2024 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया।
  - फरवरी 2026 में मार्च 2029 तक छह करोड़ लखपति दीदियाँ तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह पहल गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करती है।
  - ये समूह नियमित बचत तथा सामूहिक वित्तीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, ये सदस्यों को बैंकों, ऋण सुविधाओं, प्रशिक्षण तथा बाजारों से जोड़ते हैं।
- यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के संस्थागत नेटवर्क पर आधारित है।
  - सरकार ने जून 2011 में DAY-NRLM की शुरुआत की थी।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को केवल निर्वाह-आधारित गतिविधियों तक सीमित रहने के बजाय आय के विविध एवं स्थायी स्रोतों की ओर अग्रसर करना है।
- इसका दृष्टिकोण आजीविका विविधीकरण, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने पर आधारित है।

स्रोत: PIB

अभ्यास 'मित्र शक्ति 2026'

संदर्भ

- भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक सैन्य दल भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति 2026' के 12वें संस्करण में भाग लेने के लिए श्रीलंका रवाना हुआ।

परिचय

- 'मित्र शक्ति' वर्ष 2012 से भारतीय सेना एवं श्रीलंकाई सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है।
- इस अभ्यास का विगत संस्करण नवंबर 2025 में कर्नाटक (भारत) में आयोजित किया गया था।
- इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत अर्ध-शहरी वातावरण में आतंकवाद-रोधी अभियानों को संचालित करने हेतु दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता में वृद्धि करना है।

स्रोत: PIB

■■■